वन-आन्दोलन -- समस्यायें और समाधान

मेरी राय में मौजूदा वन-आन्दोलन एक बड़े विस्फोट का संकेत मात्र है, वन समस्या के तीन पहलू हैं।

१- बड़े बड़े लाटों में वनों की नीलामी के कारण स्थानीय छोटी पूंजी वालों का असंतोष।

२- चिरान-कटान, ढुलान आदि का कार्य अत्यधिक कष्ट साध्य होने पर भी मजदूरी की पुरानी दरों के कारण मजदूरों का असंतोष

३- स्वीकृत से अधिक पेड़ों की कटाई और मोटर सड़कों के पास के वनों के विनाश के कारण रोड़े आने व भूस्खलन के कारण बुद्धि-जीवी वर्ग का असंतोष।

पहाड़ों में होने वाले किसी भी वन-आन्दोलन का आधार वन-समस्या ही रहेगी और इस त्रिविध असंतोष के रहते हुये इस प्रकार के आन्दोलन को कोई भी शक्ति पूर्णतया दबा नहीं सकेगी। इसलिए वन-समस्या पर टुकड़ों में सोचने के बजाय उसके सब ही पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। :चिपको: आन्दोलन का औचित्य सारे देश के प्रबुद्ध वर्ग ने स्वीकार कर लिया है और राष्ट्रीय प्रेस ने इसको भरपूर प्रकाशन दिया है। इसके समर्थन में अग्रलेख लिखे हैं। इधर वनों के ठेकेदार संगठित होकर अपना प्रचार-तंत्र तेज बना रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी कार्य वे कर रहे हैं, वह राष्ट्र के हित में है। सरकार को वनों की आमदनी का मोह है, इसलिये इस समस्या पर तटस्थ चिंतन का अभाव है।

समस्या का अंतिम और वास्तविक हल तो तब ही निकलेगा, जब वनों के प्रबंध और प्रशासन में स्थानीय पंचायतराज की संस्थाओं को शामिल किया जावेगा, परन्तु अंतरिम काल के लिये यह आवश्यक है कि ठेकेदारी पद्धति को तत्काल समाप्त किया जावे। इससे वनों की अंधाधुंध कटाई और तबाही नियंत्रित की जा सकेगी। छोटे ठेके इसका विकल्प नहीं है। उससे अवैध ढंग से जंगल कटाने की मूल प्रेरणा :रिश्वत से धन कमाने: समाप्त नहीं होती है, बल्कि कुछ मायनों में तो बढ़ती है।

वन-संपदा के दोहन का कार्य प्रस्तावित वन-निगम के माध्यम से हो, परन्तु उस निगम का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिये :-

१- एक तिहाई सदस्य वन-विशेषज्ञ तथा प्रशासनिक विशेषज्ञ।

२- एक तिहाई सदस्य वन-प्रधान क्षेत्रों की जनता के प्रतिनिधि।

३- एक तिहाई सदस्य वन-श्रमिकों के प्रतिनिधि।

पृष्ठ-२-पर

इस प्रकार का संगठन सभी विचारों एवं हितों का प्रतिनिधित्व करेगा और उसके कार्यों में अधिक से अधिक सहयोग भी मिल सकेगा। अंतरिम काल के लिये वनों की कटाई रोकनी पड़ेगी और जहां वन काटने अत्यावश्यक हों वहां पर मजदूरों को संगठित कर उनके द्वारा सीधे कार्य कराया जावे। वन श्रमिकों को संगठित करना बहुत आसान है। वे किसी न किसी ठेकेदार से बंधे रहते हैं। इन ठेकेदारों को बड़े ठेकेदार:मालदार: पेशगी धन और मजदूरों की कमाई पर कुछ कमीशन :चिरान के लिये १८ प्रतिशत कमीशन: देते हैं। फिलहाल ये ही ठेकेदार निगम द्वारा काम कराने के माध्यम बन सकते हैं। कुछ स्थानों पर श्रमिकों की सहकारी समितियां संगठित हो सकती हैं और सीधे इन समितियों को श्रम-कार्य पेड़ गिराने से लेकर मोटर सड़क या बड़ी नदी तक सलीपर पहुंचाने का ठेका दिया जा सकता है।

वन श्रमिक पशु-तुल्य जीवन बिता रहे हैं। उनके काम की स्थिति में सुधार और मजदूरी की दरों में संशोधन होना अत्यावश्यक है। बढ़ी हुयी मजदूरी की दरों से उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और वे नई व्यवस्था के प्रति आश्वास्त होंगे।

वनों की सुरक्षा के प्रश्न को बाढ़ों की बढ़ती हुयी विभिषिका के संदर्भ में सोचना होगा। मेरी यह निश्चित राय है कि पिछले २० वर्षों में हुये कई प्रकार के निर्माण कार्यों - मुख्यतया मोटर सड़कों के निर्माण से जंगलों को काफी क्षति पहुंची है। हिमांचली पद्धति से लीसा निकालने से भी चीड़ के वनों को भारी क्षति हुयी है। फल-पट्टी आन्दोलन ने बांज के वनों को समाप्त किया है। आबादी का दबाव बढ़ने से भी कृषि भूमि का विस्तार और वनों का विनाश हो रहा है। स्वयं जंगलों की तो कोई कार्य योजना :Working plan: है ही नहीं, इसलिये मेरा सुझाव है कि परिवर्तित परिस्थितियों में कार्य योजनाओं को दुहराया जावे और स्वयं वनों की भी कार्य योजनायें बनाई जावें। इस अवधि में वनों का कटान बंद रहे। जहां कटाई अत्यावश्यक हो वहां विभागीय तौर से या निगम के द्वारा सीधे श्रमिकों से कटाई जावे। जब तक स्वयं वनों की कार्य योजना न बने उस समय नीलाम के लिये छापे गये वनों की नीलामी रोकी जावे। मोटर सड़कों के विस्तार के साथ ही उनके किनारे की वन-संपदा का दोहन बढ़ रहा है। अब बड़ी संख्या में खोखला पेड़ों की नीलामी होती है। कुछ स्थानों में तो सड़क के चालू होने से पूर्व ही उनके किनारे के पेड़ सूख जाते हैं और उनका नीलाम हो

पृष्ठ-३-पर

ही जाता है। घनसाली-चमियाला सड़क पर घनसाली के निकट के पेड़ इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार के काफी पेड़ घोंटी और पिलखी के बीच पिछले कुछ वर्षों से कटते चले आ रहे हैं। इन पेड़ों का गेले बनाकर लुढकान होता है, फलत: जमीन की ऊपर की पर्त छिल जाती है और वहां कृत्रिम गधेरे :नाले: बन जाने से रेड़ें आती हैं, भूस्खलन होता है, घोंटी और पिलखी :टिहरी रेंज: के बीच के तीन किलोमीटर के क्षेत्र में १० कृत्रिम गधेरे बने हैं। यहांपर पिछले तीन सालों से वन, पशुधन तथा खेती का नुकसान हो रहा है। इस क्षेत्र में इन दिनों भी मौस्या चिरान का ठेका जारी है। यह पद्धति तत्काल समाप्त की जानी चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है गेले लुढकाना वन-विभाग के नियमों के विरुद्ध है।

:सुन्दरलाल बहुगुणा:

टिहरी
दिनांक ३०-८-१९७४

चिरानी और ढुलानी मजदूरों की अनुमानित संख्या
टिहरी सर्किल

पटी का नाम	चिरानी	ढुलानी
१- नैलचामी	--	१०००
२- बांगर	१००	५००
३- सिलगढ	--	५००
४- बड़मा	--	५००
५- मरदार	--	५००
६- हिंदाव	१००	२००
७- कैमर	४००	--
८- भिलंग	६००	१०००
९- बासर	४००	--
१०- बाडागढी	१०००	---
११- रंवाई	१०००	--

बाराकोट-अंगाण में नाली का काम करने वाले तथा भिलंगना के तटवर्ती क्षेत्र में बहान करने वाले श्रमिक हैं।